## न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
## मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

**पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}**

**प्रकरण संख्या : 49/2009**

| वादी बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|---|
| 1. मनदीप सिंह पुत्र हरबन्स सिंह जाति जटसिख निवासी चक रूपनगर तहसील श्रीकरणपुर जरिए मुखत्यारेआम गुरतेज सिंह पुत्र बसन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 8 क्यू तहसील श्रीगंगानगर। | 1. मनप्रीत सिंह पुत्र हरबन्स सिंह जाति जटसिख निवासी चक रूपनगर तहसील श्रीकरणपुर हाल आबाद फलेट नम्बर 504 बिल्डिंग नम्बर एफ-2, हरिगंगा सर्वे नम्बर 129 नियर मुम्बई Shappers behind golf culb opposite RTO vishrant wadi, Pune-411001<br>2. हरबन्स सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक रूपनगर तहसील श्रीकरणपुर।<br>3. जोगेन्द्र सिंह पुत्र साईदिता सिंह जाति जटसिख निवासी चक रूपनगर तहसील श्रीकरणपुर।<br>4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर। |

**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**तारीख रजू:- 08.06.2009**

उपस्थितः **1.श्री युधिष्ठर सिंह सैनी, रामदास सोंलकी अधिवक्ता वादी**
**2. श्री इन्द्रजीत सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1**
**3. श्री रमेश चन्द गुप्ता अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 व 3**

**दिनांक : 03.08.2022**

**--निर्णय--**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 1 एफ बी की जमाबन्दी सम्वत 2063 ता 66 के खाता संख्या 27/23 के मुरब्बा नम्बर 43, 48, 49, 68/17 की कुल 12.127 हेक्टैयर नहरी मय गैरमुमकिन खाल भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 मनप्रीत सिंह, मुखत्यार कौर जोजा हरतेज सिंह, निशान सिंह पुत्र हरतेज सिंह 70-183/490 हिस्सा के बहिस्सा बराबर के खातेदार दर्ज है। यानि प्रतिवादी संख्या 1 मनप्रीत सिंह उक्त आराजी में 1.860 हेक्टैयर रकबा का मालिक खातेदार है। इसी चक के खाता संख्या 29/21 के मुरब्बा नम्बर 44 के 4.118 हेक्टैयर रकबा में प्रतिवादी संख्या 1 मनप्रीत सिंह, मुखत्यार कौर जोजा हरतेज सिंह, निशान सिंह पुत्र हरतेज सिंह बहिस्सा बराबर 1/6 हिस्सा के मालिक खातेदार दर्ज है। यानि प्रति[illegible]प्रीत सिंह उक्त रकबा में 0.270 हेक्टैयर रकबा का खाते[illegible] रिको[illegible] दर्ज है। इसी चक के खाता संख्या 30/22 के मुरब्बा नम्बर 44, 45 की कुल 3.[illegible] हेक्टैयर भूमि में मनप्रीत सिंह, मुखत्यार कौर जोजा हरतेज सिंह, [illegible] हरतेज सिंह [illegible]हिस्सा बराबर 9-9/20 हिस्सा रकबा के खातेदार दर्ज है। यानि उक्त रकबा में मनप्रीत सिंह 0.040 हेक्टैयर रकबा का मालिक खातेदार है। उक्त तीनों खातों में प्रतिवादी मनप्रीत सिंह के नाम दर्ज रकबा कुल 2.170 हेक्टैयर वादी के दादा जोगेन्द्र सिंह एंव वादी के पिता हरबंस सिंह ने प्रतिवादी संख्या 1 को जद्दी जायदाद की आय से दिनांक 15.05.1994 को खरीद कर जरिए पंजीकृत बैयनामा उसके नाम करवायी थी और तब से लेकर आज तक उक्त आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.12.12 11:18:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

पर वादी के दादा व पिता का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 पूना में नौकरी करता है और पूना में ही रिहायश करता है। उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को वादी के दादा एंव पिता ने खरीद कर दी है, इसलिए उक्त आराजी हिन्दू मुश्तर्का खानदान की आराजी है और हिन्दू मुश्तर्का खानदान की आराजी में से वादी अपने पिता के साथ बहिस्सा बराबर प्राप्त करने का हकदार है और इस हेतु उक्त आराजी में अपने हिस्सा खातेदार अधिकारों की घोषणा करवाने व दावा ला पाने का अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 मनप्रीत सिंह की जन्म दिनांक 13.02.1980 और दिनांक 19.05.1994 को उसकी उम्र करीबन 14 वर्ष बननी पायी जाती है। और दिनांक 19.05.1994 को मनप्रीत सिंह पढाई कर रहा था। दिनांक 19.05.1994 को वह नाबालिग था और उसकी आय का कोई साधन नहीं था। इससे स्पष्ट होता है कि दिनांक 19.05.1994 को आराजी जैर बहस उसके दादा एंव पिता ने खरीद कर उसके नाम लगवाई है और आराजी जैर बहस हिन्दू मुश्तर्का खानदान की आराजी है और जद्दी जायदाद की तारीफ में आती है और हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम के मुताबिक वादी मनप्रीत सिंह के नाम दर्ज आराजी में अपने पिता के साथ बहिस्सा बराबर प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 मनप्रीत सिंह उक्त आराजी 2.170 हेक्टैयर नहरी संयुक्त परिवार की आराजी को बेचान करके खुर्द बुर्द करने की कोशिश में है। यदि प्रतिवादी संख्या 1 संयुक्त परिवार की उक्त आराजी को बेचान करने में कामयाब हो गया तो वादी अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित हो जायेगा और वादी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। वादी एंव वादी के ससुर ने कुछ पंचायती व्यक्तियों को साथ लेकर प्रतिवादी संख्या 1 समझाने की कोशिश की। कि वह संयुक्त परिवार की उक्त आराजी को अकेला बेचान कर खुर्द बुर्द न करे लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने उनकी बात मानने से साफ इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। वाद पत्र पूर्ण कोर्ट फीस, पूर्ण क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि दावा निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे- चक 1 एफ बी की जमाबन्दी सम्वत 2063 ता 66 के खाता संख्या 27/23, 29/21, 30/22 में से प्रतिवादी संख्या 1 मनप्रीत सिंह के नाम दर्ज कुल 2.170 हेक्टैयर भूमि में वादी एंव वादी के पिता हरबन्स सिंह प्रतिवादी संख्या 2 को मनप्रीत सिंह के साथ बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जावे। तथा उक्त भूमि के संबध में स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत सिंह उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश चन्द गुप्ता उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाबदावा पेश किया। जवाबदावा के अनुसार मुझ प्रतिवादी के पिता ने मुझ प्रतिवादी मय उसकी माता को बहुत वर्ष पहले घर से निकाल दिया था। इस पर प्रतिवादी व उसकी माता मुझ प्रतिवादी के नाना के घर चले गये। रोटी व कपडा अन्य सब खर्चा मुझ प्रतिवादी के नाना वहन करता [illegible] प्रतिवादी की पढाई का खर्चा भी मुझ प्रतिवादी के नाना द्वारा [illegible] भूमि 2.170 हेक्टैयर भूमि मुझ प्रतिवादी के नाना द्वारा गुजारे के लिए मुझ [illegible] क्रय करके दी गई, जिसे मुझ प्रतिवादी का पिता किसी ना किसी [illegible] चाहता है। मुझ प्रतिवादी का पूना में नौकरी करना व रिहायश रखना स्वीकार है। प्रतिवादी अपने हिस्सा की विवादित आराजी हिस्सा ठेका पर देकर काश्त करवाता चला आ रहा है। जिसमें मेरी माता सहयोग देती रहती है। मुझ प्रतिवादी के हिस्सा की विवादित आराजी पर मुझ प्रतिवादी के पिता व दादा का कब्जा होना गलत लिखा गया है। उक्त 2.170 हेक्टैयर भूमि मुझ प्रतिवादी के नाना के द्वारा करके दी गई है। जो मुझ प्रतिवादी की स्वअर्जित सम्पति है जो हिन्दू मुश्तर्का

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.12.12 11:18:12 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

खानदान की आराजी नहीं है। इस कारण विवादित भूमि में मुझ प्रतिवादी के साथ वादी व मेरा पिता अपना हक घोषित करवाने व हिस्सा पाने के अधिकारी नहीं है। जवाबदावा सामिल मिसल किया गया। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादी का वादपत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से सहमति का जवाबदावा पेश किया गया। सामिल मिसल किया गया। जवाब स्टेट बन्द किया गया। हमने प्रकरण मे निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये:-

1. आया कि क्या विवादित 2.170 हेक्टैयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को उसके दादा जोगेन्द्र सिंह व पिता हरबन्स सिंह ने जद्दी जायदाद की आय से क्रय करके दी है इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की 2.170 हेक्टैयर भूमि जद्दी जायदाद है?
-जिम्मे वादी-
2. आया कि क्या वादी व उसका पिता प्रतिवादी हरबन्स सिंह, प्रतिवादी संख्या 1 की 2.170 हेक्टैयर भूमि में प्रत्येक 1/3 हिस्सा पाने के अधिकारी है?
-जिम्मे वादी-
3. आया कि क्या विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को उसके नाना द्वारा क्रय करके दी गई है। इस कारण प्रतिवादी की स्वअर्जित भूमि है? -जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1 -
4. अनुतोष।

वकील वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य प्रदर्श-1 चक 1 एफ बी की जमाबन्दी सम्वत 2063 ता 66 के खाता संख्या 27/23 की छायाप्रति, प्रदर्श-2 चक 1 एफ बी की जमाबन्दी सम्वत 2063 ता 66 के खाता संख्या 30/22 की छायाप्रति, प्रदर्श-3 चक 1 एफ बी की जमाबन्दी सम्वत 2063 ता 66 के खाता संख्या 29/21 की छायाप्रति, प्रदर्श-4 चक 1 एफ बी के इन्तकाल संख्या 169 दिनांक 12.08.1994 की प्रति, प्रदर्श-5 चक 1 एफ बी के इन्तकाल संख्या 180 दिनांक 12.08.1994 की प्रति, प्रदर्श-6 चक 1 एफ बी के इन्तकाल संख्या 181 दिनांक 07.10.1994 की प्रति, प्रदर्श-7 चक 1 एफ बी के इन्तकाल संख्या 182 दिनांक 07.10.1994 की प्रति, प्रदर्श-8 मुखत्यारेआम मनदीप सिंह बहक गुरतेज सिंह की प्रति, स्वंय वादी मनदीप सिंह का साक्ष्य शपथपत्र, पेश किया। जो सामिल पत्रावली है। साक्ष्य प्रतिवादी में गवाह जगदीश कौर, हरबन्स सिंह, मोहन सिंह के द्वारा शपथ पत्र बाबत साक्ष्य पेश किए गए जो सामिल मिसल है। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से दिनांक 18.06.2012 को प्रार्थना पत्र पेश किया जो बाद सुनवाई खारिज किया गया।

हमने उभयपक्षकारन की बहस सुनी तथा उन पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली भांति अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। हम प्रकरण का तनकी वार पृथक-पृथक विवेचन करते हुए निर्णय करना आवश्यक एंव उचित समझते है जो निम्नानुसार है:-

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.12.12 11:18:12 IST
Reason: SelfAttested

**तनकी संख्या 1 : आया कि क्या विवादित 2.170 हेक्टैयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को उसके दादा जोगेन्द्र सिंह व पिता हरबन्स सिंह ने जद्दी जायदाद की आय से क्रय करके दी है इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की 2.170 हेक्टैयर भूमि जद्दी जायदाद है?**

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादी की थी। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में चक 1 एफ बी की जमाबन्दी सम्वत 2063 ता 66 के खाता संख्या 27/23 की छायाप्रति, चक 1 एफ बी की जमाबन्दी सम्वत 2063 ता 66 के खाता संख्या 30/22 की छायाप्रति, चक 1 एफ बी की जमाबन्दी सम्वत 2063 ता 66 के खाता

संख्या 29/21 की छायाप्रति, चक 1 एफ बी के इन्तकाल संख्या 169 दिनांक 12.08.1994 की प्रति, चक 1 एफ बी के इन्तकाल संख्या 180 दिनांक 12.08.1994 की प्रति, चक 1 एफ बी के इन्तकाल संख्या 181 दिनांक 07.10.1994 की प्रति, चक 1 एफ बी के इन्तकाल संख्या 182 दिनांक 07.10.1994 की प्रति पेश की। साथ में वादी द्वारा साक्ष्यवादी के दौरान स्वय वादी मनदीप सिंह का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये। वादग्रस्त आराजी की जमाबन्दी सम्वत 2063 ता 66 के अवलोकन से स्पष्ट है कि मनप्रीत सिंह पुत्र हरबन्स सिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में 2.170 हैक्टर आराजी बतौर खातेदारी दर्ज है। वादी द्वारा अपने वादपत्र तथा साक्ष्य शपथपत्रों में यह कथन किया गया कि प्रतिवादी मनप्रीत सिंह के नाम दर्ज रकबा कुल 2.170 हेक्टैयर वादी के दादा जोगेन्द्र सिंह एंव वादी के पिता हरबंस सिंह ने प्रतिवादी संख्या 1 को जद्दी जायदाद की आय से दिनांक 15.05.1994 को खरीद कर जरिए पंजीकृत बैयनामा उसके नाम करवायी थी और तब से लेकर आज तक उक्त आराजी पर वादी के दादा व पिता का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को वादी के दादा एंव पिता ने खरीद कर दी है, इसलिए उक्त आराजी हिन्दू मुश्तर्का खानदान की आराजी है और हिन्दू मुश्तर्का खानदान की आराजी में से वादी अपने पिता के साथ बहिस्सा बराबर प्राप्त करने का हकदार है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज उक्त 2.170 हेक्टैयर भूमि क्रय की गई है और क्रय की गई भूमि स्वअर्जित सम्पति की तारीफ में आती न कि जद्दी जायदाद की परिभाषा में आती है। अतः वादी तनकी संख्या 1 को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। अतः यह तनकी विरूद्ध वादी एंव बहक प्रतिवादी संख्या 1 निर्णीत की जाती है।

**तनकी संख्या 2 : आया कि क्या वादी व उसका पिता प्रतिवादी हरबन्स सिंह, प्रतिवादी संख्या 1 की 2.170 हेक्टैयर भूमि में प्रत्येक 1/3 हिस्सा पाने के अधिकारी है?**

**-जिम्मे वादी-**

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादी की थी। पूर्व निर्णीत तनकी में सिद्व किया जा चुका है कि प्रतिवादी संख्या 1 मनप्रीत सिंह के नाम दर्ज 2.170 हेक्टैयर भूमि स्वअर्जित सम्पति की तारीफ में आती है। इसलिए उक्त विवादित 2.170 हेक्टैयर भूमि में वादी व उसका पिता हरबन्स सिंह प्रत्येक 1/3 हिस्सा पाने का अधिकारी नहीं है। अतः वादी तनकी संख्या 2 को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। अतः यह तनकी विरूद्ध वादी एंव बहक प्रतिवादी संख्या 1 निर्णीत की जाती है।

**तनकी संख्या 3: आया कि क्या विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को उसके नाना द्वारा क्रय करके दी गई है। इस कारण प्रतिवादी स्वअर्जित भूमि है?**

**-जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1-**

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी संख्या 1 की थी। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा अपने जवाबदावा व शपथ पत्र मय मौखिक साक्ष्य में कथन किया है कि मुझ प्रतिवादी के पिता ने मुझ प्रतिवादी मय उसकी माता को बहुत वर्ष पहले घर से निकाल दिया था। इस पर प्रतिवादी व उसकी माता मुझ प्रतिवादी के नाना के घर चले गये। रोटी व कपडा अन्य सब खर्चा मुझ प्रतिवादी के नाना सहन करता रहा। मुझ प्रतिवादी की पढाई का खर्चा भी मुझ प्रतिवादी के नाना द्वारा किया जाता रहा। उक्त विवादित भूमि 2.170 हेक्टैयर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.12.12 11:18:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

भूमि मुझ प्रतिवादी के नाना द्वारा गुजारा के लिए मुझ प्रतिवादी को क्रय करके दी गई, जिसे मुझ प्रतिवादी का पिता किसी ना किसी बहाना से हडप करना चाहता है। मुझ प्रतिवादी का पूना में नौकरी करना व रिहायश रखना स्वीकार है। प्रतिवादी अपने हिस्सा की विवादित आराजी हिस्सा ठेका पर देकर काश्त करवाता चला आ रहा है। जिसमें मेरी माता सहयोग देती रहती है। मुझ प्रतिवादी के हिस्सा की विवादित आराजी पर मुझ प्रतिवादी के पिता व दादा का कब्जा होना गलत लिखा गया है। उक्त 2.170 हेक्टैयर भूमि मुझ प्रतिवादी के नाना के द्वारा करके दी गई है। जो मुझ प्रतिवादी की स्वअर्जित सम्पति है जो हिन्दू मुश्तर्का खानदान की आराजी नहीं है। इस कारण विवादित भूमि में मुझ प्रतिवादी के साथ वादी व मेरा पिता अपना हक घोषित करवाने व हिस्सा पाने के अधिकारी नहीं है।

उपर्युक्त तनकी के संबध में हमारा विनम्र अभिमत है कि पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1 में सिद्व किया जा चुका है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज उक्त 2.170 हेक्टैयर भूमि क्रय की गई है और क्रय की गई भूमि स्वर्जित सम्पति की तारीफ में आती न कि जद्दी जायदाद की परिभाषा में आती है। अतः यह तनकी बहक प्रतिवादी संख्या 1 विरूद्व वादी निर्णीत की जाती है।

**4.अनुतोष।**

पूर्व निर्णीत तनकीयात वादी के विरूद्व निर्णीत की जा चुकी है। अतः वादी को कोई अन्य अनुतोष प्रदान करना विधिसंगत नहीं समझते है। लिहाजा यह तनकी इस कदर निर्णीत की जाती है।

**-:क्रियात्मक आदेशः-**

अतः उपर्युक्त विवाद्यकों के पृथक-पृथक निर्णयों के आलोक में निष्कर्षतः वादी वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा चक 1 एफ बी की जमाबन्दी सम्वत 2063 ता 66 के खाता संख्या 27/23, 29/21, 30/22 में से प्रतिवादी संख्या 1 मनप्रीत सिंह पुत्र हरबन्स सिंह के नाम दर्ज कुल 2.170 हेक्टैयर आराजी वादी के पक्ष में भली-भांति साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज /अस्वीकार किया जाता है। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का अभिन्न भाग होगा। पत्रावली इस माफिक फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफतर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 03.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.12.12 11:18:12 IST
Reason: Self-Attested